

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी



आरएफपी संदर्भ सं.: एचओ/आईटीडी/डाक/2023/00064

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

फोन: 011-39187355; 011-39187202; 011-39187237; 011-39187341

ई-मेल: alok.gupta@nhb.org.in ; akshay.kumar@nhb.org.in ; krishna.maurya@nhb.org.in ;
jaideep@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री आरंभ होने की तिथि	05 अप्रैल, 2023
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक *	13 अप्रैल, 2023
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	08 अप्रैल, 2023
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय#	10 मई, 2023
5.	पात्र बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित किया जायेगा
6.	आरएफपी की लागत	शून्य
7.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	- गैर-एमएसएमई बोलीदाताओं हेतु: ₹ 1,00,000/- - एमएसएमई/स्टार्टअप बोलीदाताओं हेतु: ईएमडी/बोली सुरक्षा घोषणा। - PI खंड 3.11 के साथ पढ़ें
8.	बोली खोलने का स्थान	ऑनलाइन

* बैठक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। ऑनलाइन तकनीकी बोली खोलने के लिए बैठक लिंक रा.आ.बैंक द्वारा प्रतिभागी बोलीदाताओं के साथ अग्रिम रूप से ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

नोट:

- इच्छुक बोलीदाता इस आरएफपी के खंड 3.1 के अनुसार बोली-पूर्व पूछताछ ईमेल/डाक पर भेज सकते हैं।
- किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल निर्दिष्ट संपर्क कर्मियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से या वेबसाइट प्रकाशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/सूचना को रिपोर्ट किये जाने चाहिए और इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के अनुसार माने जाएंगे।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्वाधिन एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित हैं तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय (आरआरओ) अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं।

रा.आ.बैंक के मौजूदा कार्यालय की अधिक जानकारी और संपर्क विवरण हेतु बोलीदाता बैंक की वेबसाइट <https://nhb.org.in/en/> पर जा सकते हैं।

3. बोलीदाताओं को निर्देश

सामान्य निर्देश

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
-

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक से पात्र विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने/चयन करने हेतु प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे, इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

<p>आलोक गुप्ता मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ईमेल: alok.gupta@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7355 फैक्स: 011-24649432</p>	<p>अक्षय कुमार प्रबंधक ईमेल: akshay.kumar@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7202 फैक्स: 011-24649432</p>
<p>के. सी. मौर्य उप प्रबंधक ईमेल: krishna.maurya@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7237 फैक्स: 011-24649432</p>	<p>जयदीप सहायक प्रबंधक ईमेल: jaideep@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7341 फैक्स: 011-24649432</p>

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली बोलियां आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और बाद में न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों को पूरा करने वाली बोली वित्तीय मूल्यांकन हेतु पात्र होंगी।
- फर्म प्रमुख बोलीदाता होनी चाहिए और पेश किए जाने वाले समाधान/सेवाओं के लिए किसी कंसोर्टियम की अनुमति नहीं है।

3.1 बोली पूर्व बैठक

- इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में निर्दिष्ट तिथि और समय पर एक ऑनलाइन बोली-पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित रूप में, ई-मेल या डाक द्वारा, बोली-पूर्व बैठक की तिथि से कम से कम 2 दिन पहले ऊपर बताए गए ईमेल/डाक पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर पहुंचकर निर्धारित पूर्व-बोली बैठक में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं।

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <https://nhb.org.in/en/> पर उपलब्ध कराई गई है।

3.3 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

3.4 विलोपन या परिवर्तन

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

1. बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
2. संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट <https://nhb.org.in/en/> पर पोस्ट किया जाएगा।
3. सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
5. रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्कैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ. बैंक के बीच बोली से संबंधित सभी पत्राचार आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

3.7 मास्कड वित्तीय बोली

बोलीदाता को रा.आ. बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक मूल्य बोली (रा.आ. बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की एक प्रति अलग से वास्तविक मूल्यों (अलग-अलग लिफाफे में) को आवरण प्रस्तुत करनी चाहिए। यह अनिवार्य है। बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि इसे ठीक से आवरण करके प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यदि मास्कड वाणिज्यिक बोली का प्रारूप/विवरण (मूल्य को छोड़कर) प्रस्तुत वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से मेल नहीं खाता है तो रा.आ. बैंक के पास वित्तीय मूल्यांकन के समय बोली/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का है।

3.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

3.9 बोली में शामिल दस्तावेज (कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें, यदि कोई हो)
कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

3.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपये में कोट की जाएगी।

3.11 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

I. गैर-एमएसएमई बोलीदाताओं हेतु:

(क) सभी बोलियों के साथ **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से ₹ 1,00,000/- की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि वापस की जानी चाहिए।

(ख) खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1.	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2.	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3.	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4.	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कंप्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6.	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7.	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8.	एमआईसीआर सं.	110002658

कृपया अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.12 कार्य निष्पदान बैंक गारंटी

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

3.13 परिनिर्धारित हर्जाना

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

3.14 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

3.15 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

- भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और प्रच्छादित (मास्कड) वित्तीय बोली [बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली] शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट को "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा।
- भाग II: "वित्तीय प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वित्तीय बोली कवर करेंगे।
- मूल बोलियों को अमित स्याही से टाइप या लिखा जाएगा और बोलीदाता या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अनुबंध के लिए बोलीदाता को बाध्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

3.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां आरएफपी में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- बैंक, अपने विवेक से, बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और दायित्व जो पहले समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद समय सीमा बढ़ाए जाने के अधीन होंगे।

3.17 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां बैंक समिति द्वारा बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान: प्रधान कार्यालय, रा.आ.बैंक
- तकनीकी बोली खोलने के समय बोली लगाने वाले का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति और ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हो, बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझे, की घोषणा की जाएगी।

3.18 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.19 प्रारंभिक जांच

- बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3.20 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

3.21 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

3.22 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक I** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सफ़्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा। संविदा अवधि के दौरान सौंपे गए किसी कार्य के लिए कर रहित (वर्तमान एवं भविष्य) परामर्श की लागत से संबंधित किसी मूल्य परिवर्तन को वहन नहीं किया जाएगा।
- विनियामक आवश्यकता के अनुसार केवल समय-समय पर लागू जीएसटी और अन्य करों का वैधानिक संशोधन/प्रावधानों के अनुसार वास्तविक भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना कार्यान्वयन तिथि आदेश पत्र की स्वीकृति तिथि (प्रारंभिक तिथि) या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उक्त तिथि पर ही विचार किया जाएगा।

3.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी में वर्णित इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विक्रेता के पास नई दिल्ली/एनसीआर और मुंबई में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

3.24 मैनुअल/दस्तावेज

विक्रेता अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए।

3.25 बोली मूल्यांकन

कृपया अंग्रेजी विषय-वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

3.26 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3.27 कीमतों का प्रकटीकरण

वित्तीय बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

3.28 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड **अनुलग्नक- Q** के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

3.29 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

3.30 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3.31 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

3.32 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता:

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

3.33 कानूनों का अनुपालन

(क) विक्रेता/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.34 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि विक्रेता के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- (क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ख) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- (घ) बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।
- (ङ) सभी अनुकूलन रा.आ.बैंक की अनन्य संपत्ति होंगे, और रा.आ.बैंक को स्रोत कोड प्रदान किया जाना चाहिए।

3.35 झूठा/अधूरा विवरण:

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- 3.1. यदि ऐसा विवरण निविदा चरण में पाया जाता है, तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदा/बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3.2. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पीबीजी के आह्वान सहित संविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

3.36 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक S में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- 1) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- 2) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
 - देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
 - संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
 - संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
 - सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ii) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- 1) कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- 2) साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- 3) अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- 4) जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- 5) न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

4. कार्य क्षेत्र एवं डिलिवरेबल्स

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

4.1 अनुज्ञापन

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सलाहकार जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

5. अनुबंध की अवधि

- i. अनुबंध की अवधि उपयोगकर्ता स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष होगी और बैंक के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है।
- ii. अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है; तथापि, ऐसी विस्तारित अवधि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. सेवा स्तर करार एवं अर्थदंड खंड

इस सेवा स्तर समझौते का उद्देश्य सेवा के उन स्तरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है जो इस अनुबंध की अवधि के लिए चयनित बोलीदाता द्वारा बैंक को प्रदान किए जाएंगे।

- बोलीदाता बैंक के साथ हुए समझौते के तहत व्यावसायिक तरीके से अपने दायित्वों का पालन करेगा।
- यदि समझौते के तहत बोली लगाने वाले के किसी भी कार्य या विफलता के परिणामस्वरूप सिस्टम की विफलता या अक्षमता होती है और यदि बैंक को अपनी संपत्ति की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, तो बैंक के पास दंड लगाने का अधिकार सुरक्षित है, जो जुर्माना के बराबर हो सकता है या, इस तरह की विफलताओं के कारण होने वाली लागत या नुकसान के बराबर हो सकता है।
- यदि बोलीदाता प्रस्तावित दस्तावेज की विशिष्टताओं और शर्तों के अनुसार अनुबंध के उचित निष्पादन को पूरा करने में विफल रहता है तब बैंक के पास आदेश को रद्द करने या/एवं गैर-निष्पादन के लिए दंड/परिसमापन क्षति के रूप में उचित समझी जाने वाली उपयुक्त राशि वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है।
- सफल बोलीदाता, उसके कर्मचारी या उनके सेवा प्रदाताओं की लापरवाही के कारण होने वाली धोखाधड़ी के कारण बैंक को होने वाली कोई भी वित्तीय हानि एवं बैंक की प्रतिष्ठा एवं साख के संबंध में क्षति होने पर सफल बोलीदाता से क्षति वसूली योग्य होगी।

6.1 सेवा स्तर संबंधी दंड-

इस संदर्भ में अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7. बोली प्रक्रिया (दो चरण) एवं मूल्यांकन-

वर्तमान कार्य के प्रयोजन के लिए, दो चरणों वाली बोली प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आरएफपी का जवाब दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:

- तकनीकी बोली भाग I
- वित्तीय बोली भाग II

बोलीदाता को तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग जमा करनी होगी।

तकनीकी बोली में कोई मूल्य निर्धारण या वाणिज्यिक जानकारी शामिल नहीं होगी।

बोली अमिट स्याही से टंकित या लिखी जाएगी और बोली लगाने वाले या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी हस्ताक्षरित होगी। प्राधिकरण को बोली के साथ लिखित मुख्तारनामा द्वारा इंगित किया जाएगा। बोली के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति(यों) के आद्याक्षर होने चाहिए।

बोलीदाता द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करने के अलावा बोली में कोई इंटरलाइनेशन, मिटाना या ओवरराइटिंग नहीं होगी, इस मामले में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा सुधार पर आद्याक्षर किया जाएगा।

7.1 बोली मूल्यांकन पद्धति:

मूल्यांकन पद्धति का उद्देश्य इष्टतम लागत पर तकनीकी रूप से बेहतर समाधान के चयन की सुविधा प्रदान करना है।

रा.आ.बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसा कि आरएफपी में बताया गया है, चयनित बोलीदाता के पास अनुबंध की पूरी अवधि के लिए रा.आ.बैंक द्वारा मांगी गई सेवाएं प्रदान करने का अपेक्षित अनुभव होना चाहिए। रा.आ.बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया नीचे दी गई है। इसका उद्देश्य केवल बोलीदाता को उस मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना है जिसे रा.आ.बैंक अपना सकता है। रा.आ.बैंक के पास निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय मूल्यांकन प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है (संभावित बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने से पहले), बिना कोई कारण बताए, और बोलीदाताओं को ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना देने की आवश्यकता के बिना। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी या सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण मांग सकता है।

कृपया यह नोट किया जाए कि रा.आ.बैंक किसी भी प्रस्ताव को अधूरा पाए जाने या इस आरएफपी दस्तावेज़ में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए 'न्यूनतम पात्रता मानदंड' के विवरण का पहले खंड 7.2 में वर्णित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस आरएफपी के लिए तकनीकी और वित्तीय बोली प्रतिक्रियाओं पर केवल उन विक्रेताओं के लिए आगे विचार किया जाएगा जो न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन अर्थात गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस):

- अपनाए जाने वाले प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) होंगे जहां तकनीकी बोली स्कोर को 70 और वित्तीय बोली स्कोर को 30 का महत्व मिलेगा।
- तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिक्रिया मूल्यांकन निम्नलिखित खंड में वर्णित मानदंडों पर आधारित होगा।

7.2 न्यूनतम पात्रता मानदंड:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7.3 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7.4 वित्तीय बोली:

तकनीकी बोली प्रक्रिया के अपेक्षित मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली फर्मों को ही वित्तीय बोली दौर के लिए

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी पात्र माना जाएगा।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा:

- सबसे कम बोली (अनुबंध I की कुल लागत "ग" के अनुसार) को अधिकतम 100 अंकों का वित्तीय स्कोर दिया जाएगा।
- अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय अंकों की गणना सबसे कम मूल्यांकित वित्तीय बोली के सापेक्ष की जाएगी।

वित्तीय स्कोर कंप्यूटिंग पद्धति इस प्रकार है:

$$\text{वित्तीय स्कोर (विचाराधीन बोली)} = \frac{100 \times \text{मूल्य (न्यूनतम बोली)}}{\text{मूल्य (विचाराधीन बोली)}}$$

7.5 अंतिम प्रसंस्करण

- तकनीकी और वित्तीय स्कोर को मिलाकर प्रस्तावों को उनके अंतिम स्कोर के अनुसार रैंक दिया जाएगा:
- अंतिम स्कोर (FS) = तकनीकी स्कोर X T + वित्तीय स्कोर X F
(T - तकनीकी बोली को वेटेज दिया गया, F - वित्तीय बोली को वेटेज दिया गया, T + F = 100)
- बोलियों के लिए वेटेज (भारांक) इस प्रकार हैं:

I.	तकनीकी बोली	T	70%
II.	वित्तीय बोली	F	30%
	कुलवेटेज		100%

- उच्चतम संयुक्त तकनीकी और वित्तीय स्कोर प्राप्त करने वाली फर्म को, यदि आवश्यक हो, बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
- बैंक मूल्यांकन मानदंड, कार्यप्रणाली, वितरण बिंदुओं और भारांक को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है।

8. वाणिज्यिक नियम और शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के लिए निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर ध्यान दें।

8.1 कीमत

- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागत शामिल होनी चाहिए। द्वितीय।
- कीमत एक वर्ष की पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- वित्तीय बोली के अनुसार बोली की वैधता अवधि तक कीमत में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी शुल्क आदि शामिल होना चाहिए।
- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध के बोलीदाता के प्रदर्शन के दौरान यानी एक वर्ष की अवधि के लिए स्थिर रहेगा, जिसे आरएफपी की शर्तों के अनुसार एनएचबी द्वारा, यदि आवश्यक हो, बढ़ाया जा सकता है।
- समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- vi. अनुबंधित दरों के आधार पर, एनएचबी निष्पादन समीक्षा के बाद वार्षिक रूप से आदेश देगा। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता तिमाही आधार पर बैंक के मुख्यालय में परियोजना समीक्षा करेगा। सभी भुगतान बैंक द्वारा सकारात्मक समीक्षा के अधीन होंगे।
- vii. विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान बिना किसी चूक के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है।

8.2 भुगतान की शर्तें

8.3 निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार पीबीजी (खंड 3.12 के अनुसार) और लागू समझौतों (एसएलए और एनडीए) पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भुगतान जारी किया जाएगा।

- क. बिल की प्रस्तुति और भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।
- ख. सेवा प्रदाता को लागत ₹ में बतानी होगी और बिल ₹ में जमा करना होगा।
- ग. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बिल जमा करने के एक माह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा।
- घ. यदि विक्रेता निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो एनएचबी अपने विवेक से बिल से कटौती और बैंक गारंटी का आह्वान करके जुर्माना लगा सकता है।
- ड. कृपया अनुबंध I में वित्तीय बोली के साथ पढ़ें।
- च. प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित वैधानिक दर के अनुसार केवल लागू जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- छ. भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भुगतान असाइनमेंट पूरा होने पर और बैंक की संतुष्टि के अधीन किया जाएगा।
- ज. किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को आरएफपी की वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर चालान किया जाएगा। बोलीदाता बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही चालान करेगा।
- झ. बोलीदाता उस तिमाही के लिए जुर्माने के लिए क्रेडिट नोट के साथ अवधि के लिए चालान जारी करेगा। उसी का नेट जारी किया जाएगा।
- ञ. किसी भी अवधि के लिए भुगतान तिमाही से संबंधित टीडीएस/अन्य करों और लागू दंड/एलडी की कटौती के बाद किया जाएगा।
- ट. बैंक से भुगतान सूचना प्राप्त होने पर, बोलीदाता को इसकी पावती देनी होगी और भुगतान रसीद/पुष्टि जमा करनी होगी।
- ठ. बाद की अवधि के लिए भुगतान सेवा अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन किया जाएगा।
- ड. एनएचबी द्वारा सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। इसलिए, बोली लगाने वाले को न्यूनतम योग्यता बोली के साथ रद्द किए गए चेक के साथ ईसीएस मैडेट फॉर्म (अनुलग्नक जे के अनुसार) जमा करना होगा।
- ढ. बोली लगाने वाले की ओर से देरी या चूक के मामले में बैंक के पास बोली लगाने वाले को देय किसी भी भुगतान को रोकने का अधिकार होगा। इस तरह के भुगतान को रोकना बैंक की ओर से चूक नहीं माना जाएगा।
- ण. यदि लागू हो तो क्रेडिट नोट/चालान के साथ निर्विवाद चालान प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर सभी भुगतान जारी कर दिए जाएंगे।
- त. बोलीदाता को बैंक द्वारा प्रस्तावित भुगतान शर्तों को स्वीकार करना होगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली बैंक द्वारा प्रस्तावित भुगतान शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रस्तावित भुगतान शर्तों से कोई विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8.4 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू दंड और टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद सेवाओं के लिए भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा, जिस अवधि के लिए सेवाएं प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी और विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी अन्य अनुबंधों हेतु निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

कृपया नोट करें – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in में What's New हेड पर उपलब्ध है।

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।*

XXX